


232

339



राजस्व मण्डल निगम  
न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय, सिव्हा नगर, सिव्हा मण्डल, राजस्थान 300001  
राजस्व द्वितीय क्रमांक 12012

R-142-III/2012



श्री महेन्द्र शर्मा  
आदेश द्वारा दिनांक  
19-1-12 को दिनांक  
आदेश 47 यदुवत  
30  
19-1-12

- 1- रामरक्षा पाण्डेय पिता रामशुभम पाण्डेय
- 2- धिरानी देवी किववा पत्नी रामशुभम पाण्डेय
- 3- केश कुवर किववा पत्नी प्रह्लाद पाण्डेय
- 4- अमरेश ।
- 5- अनिश ।
- 6- आसुतांष । पिता प्रह्लाद पाण्डेय स्त्री अल्प वयस्क जरिये  
सरदाका मा' केश कुवर किववापत्नी प्रह्लाद पाण्डेय
- 7- महेन्द्र पिता हॉटेलाल शर्मा
- 8- मूल सविता किववा पत्नी राजेन्द्र शर्मा स्त्री निवासी गण ग्राम  
तैलावा तहसील एवम सिव्हाली मण्डल आ वेदकाण / निगरानी क्तागिण  
विरुद्ध

रामदुलारे पिता देवकरण तैली सा किन चित्तखेला तहसील व जिला  
सिव्हाली मण्डल आ वेदकाण गैर निगराकार

न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर महोदय जिला

सिव्हाली के राजस्व निगरानी क्रमांक 25/  
निगरानी/2011-12 मे पारित आवेश दिनांक  
19-11-2011 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा  
50 मण्डल राजस्व संहिता के अधीन


सिद्धांत मिश्रा (रजिस्ट्रार)  
Registrar  
Revenue Department  
Sivkhal

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-142-III/2012

जिला-सिंगरौली

रामरक्षा पाण्डेय / रामदुलारे तेली

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रजनीश मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 25/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 19.11.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">             (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	